

188 RA Act, 136 LRA Act

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1/2 वाव पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 RA Act, 136 LRA Act द्वारा वकील श्री बालेन्द्र सिंह घोष पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 11.4.22 को पेश हो।

1/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठसीन अधिकारी महोदय वीरे/ अयकाश/अन्य सज्जनों में तलब रक्ते हैं। पत्रावली दि. 26/7/22 को पेश हो।

5/22 राजीनामा प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली आज पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री भारत भूषण गौतम ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्षकारान ने राजीनामा प्रार्थना पत्र के अनुसार वाद डिली किये जाने में सहमती व्यक्त की। बस उभयपक्षकारान सुनी गई। वादीगण का वाद मुताबिक ग्राम एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर डिली किया जाता है। ग्राम फूलेता पटवार मण्डल फूलेता की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 की खसरा सं. 253 पुराना 145 के खसरा सं. 542/1067 रुबा 0.4854, भूमि खसरा सं. 542 की राजस्व तक्की में पूर्व में हो रही पृथक्-पृथक् तरमीम में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करें, पूर्व में हो रही तरमीम को यथावत रखा जावे। इस आशय की स्थायी निवेद्याज्ञ से प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 को पाबन्द किया जाता है। डिली पत्र जारी है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

सुपरी
विवादा
11/22
Bentoc
हेमराज
11/22

उपखण्ड अधिकारी
बुन्दी (बुकी)

